

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/337
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00334
CICOM/R/2016/00814

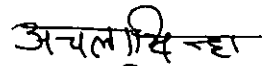
दिनांक: 15.09.2016

अपीलकर्ता : श्री जसवंत सिंह सोनी,
पुत्र - श्री हरद्वारी लाल सोनी,
गांव व पो0 - सतनाली,
तहसील व जिला - महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।

निर्णय की तारीख : 15.09.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	13.07.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.08.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	163969/12.08.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	483/16.08.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SA/A/2014/001636 से संबंधित सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई द्वितीय अपील आदेश सं. CIC/SA/A/2014/001636 के हेडिंग में "Jaswant Singh Soni Vs. Bar Council of Punjab & Haryana" लिखा हुआ है जबकि आदेश के नीचे "Address of the Parties" में कहीं भी अपीलकर्ता का नाम व पता नहीं लिखा है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति श्री उमेश सिंह, C/o श्री संत राम धनखर, आर.जेड.एच. - 89, निहाल विहार, नांगलोई, दिल्ली-110041 लिखा हुआ है । अतः श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपीलकर्ता का वांछित सूचना स्पष्ट रूप में प्रदान की जाए ।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।


(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री दिनेश कुमार, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।